अपने अधिकार जानें: यदि आईसीई आपके घर आएं तो

अप्रलेखित प्रवासियों सहित, अमेरिका में रह रहे सभी लोगों के पास अमेरिकी संविधान के दिए हुए कुछ अधिकार हैं। यदि आप अप्रलेखित हैं और इमीग्रेशन (आईसीई) एजेंट आपके घर आते हैं, तो जानें कि आपके पास ये अधिकार हैं:

आपको दरवाज़ा खोलने की जरूरत नहीं है। आपको दरवाज़ा खोलने या उन अधिकारियों को तब तक अपने घर में अंदर आने की इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है, जब तक उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षर किया गया मान्य सर्च वारंट न हो।

आईसीई निर्वासन वारंट और सर्च वारंट समान नहीं हैं। यदि उनके पास बस यही दस्तावेज़ हो, फिर भी क़ानूनी तौर पर वे घर के अंदर तब तक नहीं आ सकते, जब तक आप उनके अंदर आने के लिए मौखिक सहमति न दें।

यदि अधिकारी कहें कि उनके पास जज द्वारा हस्ताक्षर किया गया सर्च वारंट है, तो उन्हें वह वारंट दरवाजे के नीचे से सरकाने या खिड़की से दिखाने के लिए कहें।

यदि वारंट के ऊपर आपका सही नाम **और** पता न लिखा हो और जज का हस्ताक्षर उस पर न किए गए हों, तब आपको दरवाज़ा खोलने या फिर उन्हें अंदर आने देने की ज़रूरत नहीं है।

यदि आप किसी समय अधिकारियों से बात करने का निर्णय करते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपको दरवाजा खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप उनसे दरवाजे से बात कर सकते हैं या बाहर आकर दरवाजा बंद कर सकते हैं।

आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आपको इमीग्रेशन अधिकारियों से कोई बात करने या उनके किसी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।

यदि आपसे पूछा जाता है कि आपका जन्म कहां हुआ था या आपने अमेरिका में कैसे प्रवेश किया था, तो आप उत्तर देने से इनकार कर सकते हैं या चुप रह सकते हैं।

यदि आप चुप रहने का विकल्प चुनते हैं, तो कहें, "मैं चुप रहने का विकल्प चुनता हूँ|"

आप अधिकारी को **अपने अधिकार जानिए कार्ड** (अंग्रेजी) दिखा सकते हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आप चुप रहेंगे तथा अपने वकील से बात करना चाहते हैं।

आप पहचान दस्तावेज़ दिखाने से भी मना कर सकते हैं, जिस पर लिखा हो कि आप किस देश से हैं।

कोई फ़र्ज़ी दस्तावेज़ न दिखाएं और न उनसे झूठ बोलें।

आपके पास वकील से बात करने का अधिकार है। यदि आपको हिरासत में लिया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो आपके पास अटार्नी का अनुरोध करने और अपने अटार्नी से फ़ोन कॉल प्राप्त करने का अधिकार है। डिटेंशन सेंटर के नियमों को समझने के लिए डिटेंनी हैंडबुक की कॉपी की मांगिए।

यदि आपका वकील नहीं भी है, तो भी आप इमीग्रेशन अधिकारियों से कह सकते हैं कि आप वकील से बात करना चाहेंगे।

यदि आपका अपना वकील हो, तो आपके पास उनसे बात करने का अधिकार है। यदि आपने फ़ॉर्म जी-28 पर हस्ताक्षर किए हैं, जो बताता है कि आपके पास वकील है, तो वह फ़ॉर्म ऑफ़िसर को दें।

यदि आपका कोई वकील नहीं है, तो इमीग्रेशन अधिकारियों से निःशुल्क वकीलों की सूची मांगिए।

आपके पास अपने वाणिज्यिक दूतावास से संपर्क करने का अधिकार भी है| वाणिज्यिक दूतावास आपको वकील का पता लगाने में मदद कर सकता है |

आप किसी/सभी कागजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, जब तक आपको वकील से बात करने का मौका मिल न जाए|

यदि आप वकील से बात किए बिना किसी चीज पर हस्ताक्षर करना चुनते हैं, तो उस पर हस्ताक्षर करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप भली-भांति यह समझते हैं कि दस्तावेज़ में क्या कहा गया है और उसके क्या मायने हैं।

यदि आपके खाते में 10 दिन के बाद पर्याप्त राशि नहीं है, तो आपको परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ मुफ्त फोन कॉल करके बात करने का अनुरोध करने का अधिकार है।

यह फ्लायर केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के प्रयोजन से है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नही लिया जाना चाहिए| आपको सक्षम और लाइसेंस प्राप्त इमीग्रेशन अटार्नी की सलाह लिए बिना इस फ्लायर में दी गई किसी जानकारी पर न तो कार्य करना चाहिए और न भरोसा करना चाहिए| यह आपके केस पर किस प्रकार से लागू होगा, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अपने इमीग्रेशन अटॉर्नी से संपर्क करें या https://www.ailalawyer.org/ पर इमीग्रेशन अटॉर्नी ढूंढें।

AILA
©2025 American Immigration Lawyers Association
#AILAStandsWithImmigrants